



नगर निगम, गोरखपुर

निविदा सूचना

नगर निगम गोरखपुर के पथ प्रकाश विभाग द्वारा महानगर के चारों जोन में तार खींचने हेतु पंजीकृत ठेकेदारों/फर्मों के माध्यम से निविदा आमंत्रित की जाती है।

क्र० सं०	कार्य का नाम	अनुमानित लागत जीएसटी सहित (लाख में)	घरोहर धनराशि (रु० में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य (रु० में)
1	2	3	4	5
1	जोन- 01में तार खींचने का कार्य।	9.92	89000	1045
2	जोन- 02 में तार खींचने का कार्य।	6.67	60000	703
3	जोन- 03 में तार खींचने का कार्य।	8.60	77000	906
4	जोन- 04 में तार खींचने का कार्य।	8.59	77000	905

आपूर्ति/कार्य से सम्बन्धित निविदा प्रपत्र एवं शर्तें नगर निगम के पथ प्रकाश विभाग के कार्यालय में अथवा वेबसाइट <http://nagarnigamgkp.org> पर उपलब्ध होगा। निविदा बाक्स में निविदा डाले जाने की अंतिम तिथि दिनांक 18.03.2020 को दोपहर 12:00 बजे।

प्रभारी अधिकारी (पथ प्रकाश)
नगर निगम, गोरखपुर

नगर आयुक्त
नगर निगम, गोरखपुर




नगर निगम, गोरखपुर

पथ प्रकाश विभाग में स्ट्रीट लाईट का तार खींचने हेतु विस्तृत नियम एवं शर्तें-

01. बिड डाक्युमेन्ट ऑनलाइन <http://nagarnigamgkp.org> पर अथवा पथ प्रकाश विभाग के कार्यालय में प्राप्त की जा सकती है। निविदा (बिड) कार्यालय में रखे निविदा बाक्स में दिनांक 18/03/2020 को प्रातः 11:00 बजे से सायं 04:00 बजे तक डाली जायेगी।
02. टेक्निकल बिड दिनांक 18/03/2020 को अपराह्न 4.30 बजे नगर निगम, गोरखपुर के कार्यालय में खोली जायेगी। निविदा खुलने की तिथि पर आकस्मिक अवकाश पड़ जाने पर निविदा अगले कार्य दिवस में खोली जायेगी।
03. निविदादाता द्वारा निम्नांकित प्रपत्र संलग्न करना आवश्यक है
 - i- निविदा मूल्य सम्बन्धी जमा रसीद आदि।
 - ii- बिड सिक्योरिटी अनुमन्य धनराशि का एफ.डी.आर. आदि।
 - iii- प्रत्येक बिड्स के साथ निविदादाता को सभी सूचनाएँ/प्रपत्र की सत्यता के सम्बन्ध में शपथ पत्र।
 - iv- जीएसटी रजिस्ट्रेशन की कापी एवं पैन कार्ड।
 - v- अन्य सभी आवश्यक प्रपत्र।
02. निविदा प्रपत्र हेतु नान रिफण्डेबुल शुल्क के रूप में जमा रसीद/डी.डी. तथा धरोहर धनराशि के रूप में राष्ट्रीयकृत बैंक का एफ.डी.आर. जो प्रभारी अधिकारी पथ प्रकाश, नगर निगम, गोरखपुर के नाम बन्धक होगी संलग्न करना होगा अन्यथा निविदा अवैध मानी जायेगी।
03. निविदा प्रपत्र एवं कोई भी जानकारी के लिए सम्बन्धित कार्यालय नगर निगम, गोरखपुर से किसी भी कार्य दिवसों में प्राप्त की जा सकती है।
04. प्राप्त सभी निविदा प्रपत्रों का पहले यह निरीक्षण किया जायेगा कि निविदादाता द्वारा निर्धारित प्रतिमूति धनराशि, एवं सभी प्रपत्र पर निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षर सहित ठीक-ठीक उपलब्ध कराये गये हैं या नहीं, इनमें किसी प्रकार की कमी या असन्तोषजनक होने की स्थिति में निविदादाता की बिड को Unresponsive मानते हुए कोई विचार नहीं किया जायेगा।
05. वार्डों में स्ट्रीट लाईट तार खींचने हेतु स्वीकृत दर पर न्यूनतम निविदादाता को 1 माह के अन्दर कार्य पूर्ण करनी होगी।
06. सफल निविदादाता को कार्यदेश प्राप्त होने के तीन दिन के अन्दर उचित मूल्य के स्टैम्प पेपर पर इकरारनामा करके करना होगा।
07. अनुबन्ध स्टैम्प पेपर ट्रेजरी (कोषागार) से सीधे क्रय करना अनिवार्य है।
08. निविदा प्राप्त करने की तिथि में यदि अवकाश हुआ तो अगले कार्य दिवस में निविदा प्राप्त व खोली जायेगी।
09. निविदा की वैधता 1 वर्ष होगी।
10. न्यूनतम निविदादाता द्वारा निर्धारित समय के अन्दर आपूर्ति पूर्ण न किये जाने की दशा में विलम्ब पर अर्धदण्ड देय होगा।
11. नगर निगम पथ प्रकाश विभाग में पथ प्रकाश विस्तार कार्य कराये जाने का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
12. नगर निगम में पंजीकृत ठेकेदार एवं जिनके पास विद्युत सुरक्षा निदेशालय से निर्गत "क" श्रेणी विद्युत लाइसेन्स धारक है वही निविदा में भाग ले सकते हैं।

13. सफल निविदादाता द्वारा यदि समय से कार्य पूर्ण नहीं किया गया तो नगर आयुक्त नगर निगम को यह अधिकार होगा की वह कार्य को किसी अन्य से करा ले तथा इस प्रक्रिया में जो निगम को अधिक व्यय करना होगा वह निविदादाता के धरोहर धनराशि से जब्त करके पूर्ण कर लिया जायेगा।
14. किसी या सभी निविदा को आंशिक या पूर्ण रूप से स्वीकृत या अस्वीकृत करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित होगा, किसी भी विवाद के सम्बन्ध में नगर आयुक्त नगर निगम गोरखपुर का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।
15. निविदा प्रपत्र के साथ नगर निगम में पंजीकरण प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।


प्रभारी अधिकारी (पथ प्रकाश)
नगर निगम, गोरखपुर



नगर आयुक्त
नगर निगम, गोरखपुर